



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 भाद्र 1944 (श10)

(सं0 पटना 652) पटना, बुधवार, 31 अगस्त 2022

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

26 अगस्त 2022

सं० 3/एम0-54/2015सा0प्र0-15059—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 निर्गत है। उक्त संकल्प के साथ संलग्न अनुसूची में सम्मिलित पदों पर ही, संकल्प के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-3(1) के प्रावधान के तहत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित पदों को उपर्युक्त संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.15 की अनुसूची में इस शर्त के साथ सम्मिलित किया जाता है कि इन पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन मात्र एक वर्ष के लिए ही किया जायेगा—

क्र०सं०	विभाग का नाम	विभागीय संकल्प संख्या-10000 दिनांक-10.07.15 अनुसूची में सम्मिलित किये जाने वाले पद।
1.	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	(i) प्रगति सहायक
2.	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग	(i) अधीक्षक मद्य निषेध एवं (ii) सहायक आयुक्त मद्य निषेध ।
3.	श्रम संसाधन विभाग	निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष)— (i) सहायक लेखा पदाधिकारी

3. उपरोक्त पद पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के संविदा नियोजन हेतु संकल्प ज्ञापांक- 10000 दिनांक- 10.07.2015 में निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं इस पद पर सेवा लेने के संबंध में प्रशासी विभाग द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 652-571+15-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>